मध्यप्रदेश विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000*

क्र. एफ 7-85-2000-उन्तीस-1. - चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि मध्यप्रदेश राज्य में, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश क्रमांक जी.एस.आर. 519 (ई), दिनांक 5 जून 2000 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. यह नियम मध्यप्रदेश विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 कहलाएगा।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
3. यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ

इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश शासन खाद्य तथा सिविल आपूर्ति विभाग और उसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी आते हैं जो कि उसके द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियम के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाएं।

(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑयल कम्पनी के करार के आधार पर विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के क्रय, विक्रय या विक्रय के हेतु भंडारण के कारबार में लगा हुआ हो, किन्तु उसमें कोई ऑयल कंपनी सम्मिलित नहीं है।

(ख-1) ''छुट्टी के दिन'' से ऐसा दिन जिस दिन व्यापारिक परिसर विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की बिक्री के लिए बन्द रहेगा अभिप्रेत है;

---

* म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14.8.2000 को पृष्ठ 1002 (9) पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

(ग) "विलायक" से पेट्रोलियम या कोयला से सीधे या परोक्ष रूप से निकाला गया वाष्पशील अभिप्रेत है। ये विलायक प्रोपेन, बेनजीन, टोलवीन, जाईलीन, आदि जैसे एकल हाईड्रो कार्बन हो सकते हैं। क्वथन रेंज के हाईड्रो कार्बन हो सकते हैं या एक अथवा अधिक क्वथन रेंज के हाईड्रो कार्बन हो सकते हैं।

"रेफिनेट" से ऐसी द्रव्य निष्कर्षण प्रक्रिया में जहाँ विलायक का उपयोग हाईड्रो कार्बन मिश्रण में दो संघटकों को पृथक् करने के लिए किया जाता है, पतली विलायक धारा अभिप्रेत है।

"स्लॉप" किसी उद्योग में संयंत्र प्रचालन की अस्थिर अवधि के दौरान जनित ऐसे उत्पाद की धारा अभिप्रेत है जो तैयार नहीं है।

(घ) "ऑयल कंपनी" से अभिप्रेत है नीचे विनिर्दिष्ट ऑयल कंपनियों में से कोई भी ऑयल कंपनी :

(एक) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड;

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड;

(तीन) भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड;

(चार) दि इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड;

(पाँच) अन्य कोई तेल कंपनी जो कि तेल परिस्कारण विपणन का कार्य कर रही हो एवं भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत हो।

(ङ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य की सरकार।

(च) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक खाद्य तथा सिविल आपूर्ति, मध्यप्रदेश

(ज) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, इस नियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति और अभिव्यक्त 'अनुज्ञप्तिधारी' का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(झ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो जिसमें कि कोई व्यापारी अपना कारबार करता हो और उसमें ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा उससे विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र के हेतु अनुज्ञापन अधिकारी की इस नियम के अधीन समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे।

3. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के विक्रय तथा प्रदाय का विनिमयन

1. प्रत्येक व्यापारी अपने कारबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर, स्टॉक तथा मूल्य का एक पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें उस दिन का विलायक, रेफिनेट और स्लॉप का प्रारंभिक अतिशेष तथा प्रति लीटर विक्रय मूल्य दर्शाया जावेगा।

Scanned by CamScanner

2. प्रत्येक व्यापारी अपने कारबार के परिसरों में नाप्था के क्रय, विक्रय तथा संग्रहण के सही और ठीक लेखे बनाए रखेगा जो कि संव्यवहार के दिनांक से दो दिनों (छुट्टी के दिन को छोड़कर) लिखा जायेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा :

(क) दिन का आरंभिक स्टॉक;

(ख) दिन के दौरान प्राप्त की गई मात्रा;

(ग) दिन के दौरान बेची गई, परिदत्त की गई या अन्यथा व्ययनित की गई मात्रा;

(घ) दिन का बन्द स्टॉक; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जैसा कि कोई प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

3. प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक ऑयल कंपनी विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण के विषय में और उस भाषा तथा उस रीति के विषय में जिसमें कि उसके लेखे बनाए रखे जाएंगे तथा स्टॉक विवरणों की प्रस्तुति के विषय में भी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा/करेगी जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में उसे दिए जाऐं।

4. कोई भी व्यापारी मध्यप्रदेश में विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की पूर्ति बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की रीति में कोई कार्य नहीं करेगा।

5. किसी व्यापारी या किसी आयॅल कंपनी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी उपभोक्ता को विलायक, रेफिनेट और स्लॉप का विक्रय नहीं करेगा और कोई उपभोक्ता किसी व्यापारी या ऑयल कंपनी के सिवाय किसी अन्य के विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा।

4. व्यापारियों का अनुज्ञापन

1. कोई भी व्यक्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन तथा के अनुसार के सिवाय विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के व्यापारी के रूप में कारबार नहीं करेगा।

2. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के प्रारंभ के समय विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के व्यापारी के रूप में कारबार में लगा हुआ हो, ऐसे नियम के प्रारंभ होने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

5. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1. अनुज्ञप्ति या उसके नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रारूप 'क' में किया जायेगा।

2. अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इस प्रकार किया जायेगा, कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञप्ति समाप्त होने वाली हो, कम से कम 30 दिन पूर्व पहुँच जाए और किसी भी दशा में उससे 15 दिन के पश्चात् नहीं।

Scanned by CamScanner

6. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

इस नियम के अधीन जारी की गई, पुनः जारी की गई या नवीनीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्रारूप 'ख' में होगी।

1. नवीन अनुज्ञप्ति अथवा नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में तथा विहित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

7. अनुज्ञप्ति की कालावधि तथा प्रभार्य फीस

1. इस नियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यापारी के अनुरोध पर एक वर्ष की कालावधि के लिये जारी की जा सकेगी और तत्पश्चात् इसे प्रत्येक अवसर पर दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा और जब तक कि पूर्व में ही निलंबित या प्रतिसंहृत न की जाए उसके जारी किए जाने या अंतिम नवीनीकरण की तारीख से उस वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर को, जब तक के लिए वह जारी की गई है या नवीनीकृत की गई है, समाप्त हो जायेगी।
2. इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए संदेय फीस वह होगी जो राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर विहित करे।
3. कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जायेगी।

8. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना

यदि इस नियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाए, विरूपित हो जाए, फट जाए या अस्पष्ट हो जाए, तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए तुरन्त आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे निर्धारित की गई फीस का भुगतान किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी प्रत्येक दूसरी प्रति पर 'दूसरी प्रति' मुद्रांकित किया जायेगा।

9. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी, संबंधित व्यापारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात् तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने से या अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण से इंकार कर सकेगा। ऐसे आदेश से आवेदन पत्र होने के चालीस दिवस के भीतर आवेदक को लिखित में संसूचित किया जायेगा।

10. निदेशों का अनुपालन

अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निदेशों का अनुपालन करेगा जो कि यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के क्रय,

Scanned by CamScanner

विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रहण तथा व्ययन के संबंध में लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर दिए जाएें।

11. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन

इस नियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों में से किसी भी निबन्धन या शर्त का या इस नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि ऐसा धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उक्त निबन्धनों या शर्तों या उपबन्धों में से किसी भी निबन्धन या शर्त या उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द या निलंबित भी की जा सकेगी :

परन्तु शर्त यह है कि इस खण्ड के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने उस ऑयल कंपनी से, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी ने संविदा किया हो, विकल्प न प्राप्त कर लिया गया हो और प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परन्तु आगे और यह शर्त है कि, पूर्वगामी परन्तुक के अन्तर्गत इस संबंध में कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या समकक्ष स्तर के अधिकारी से पत्र की प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर ऑयल कंपनी की राय को समावेश करते हुए कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तब यह माना जायेगा कि ऑयल कंपनी प्रस्तावित कार्यवाही के लिए सहमत है और अनुज्ञापन प्राधिकारी जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. उपखण्ड 1 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति निरस्ती अथवा निलंबन के आदेश की प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जावेगी।

12. अनुज्ञप्तिधारी के दोषसिद्ध ठहराये जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो जावेगी

खण्ड-11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन दिए गए ऑयल से संबंधित किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा :

परन्तु जहाँ किसी अपील या पुनरीक्षण में ऐसी दोषसिद्धि का समर्थन न किया जाए, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी उस व्यक्ति द्वारा जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, प्रारूप 'क' में आवेदन करने पर उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

13. नई अनुज्ञप्ति जारी करना

अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहाँ इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की जाए, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को मूल अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेगा।

14. प्रतिभूति का निक्षेप

इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी की जाने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास ऐसी रकम जमा करेगा, जैसी राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर विहित करे और तत्पश्चात् उसे खण्ड छ: के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।

2. उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट की गई प्रतिभूति की रकम ऐसे रूप में होगी जैसा कि संचालक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. प्रतिभूति निक्षेप का सम्पहरण

1. खण्ड 11 के उपबन्धनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण वांछनीय है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षिप्त की गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा और उस आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करेगा।
2. यदि प्रतिभूति की रकम खण्ड 14 के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट रकम से किसी भी समय कम हो जाए तो अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की उतनी रकम तत्काल निपेक्ष करेगा जिससे कि वह रकम पूरी हो जाए।
3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त बाध्यताओं का सम्यक् पालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग जो पूर्वोक्तानुसार समपहृत न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा।

16. अपील

अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति मंजूर करने, पुन: जारी करने या नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या उसे निलंबित करने या इस नियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षेप की गई प्रतिभूति को समपहृत करने के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी का आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संभाग के आयुक्त को अपील कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

17. पुनरीक्षण

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर संभाग के आयुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा निपटाये गए किसी भी मामले के अभिलेख मंगा सकेगी और उनकी जाँच कर सकेगी, और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु यह किसी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगी जब तक कि प्रस्तावित आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को उस आदेश को जिसके कि विरुद्ध आवेदन किया जा रहा हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे प्रस्तुत न किया जाए।

18. जानकारी मंगाने की शक्ति

प्रत्येक व्यापारी, यदि उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों या प्राधिकृत अधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा लिखित में जारी किए गए सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो अपने कारबार से संबंधित वैसी बहियाँ, लेखे तथा अभिलेख रखेगा और उसे या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को अपने कारबार से संबंधित ऐसी विवरणी तथा जानकारी जिसमें इस नियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् जैसा कि निर्देश में उल्लिखित किया जाए, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप से संबंधित विवरणी तथा जानकारी सम्मिलित है, प्रस्तुत करेगा।

19. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति

1. राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी, या सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी तेल कंपनी या तेल कंपनी का कोई ऐसा अधिकारी, जो विक्रय अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस नियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से;

(क) किसी व्यक्ति की या उसके नियंत्रण के अधीन की किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या लेखाओं तथा साथ ही विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के किसी स्टॉक का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिए किसी कारबार या उपक्रम के संबंध में जानकारी, जो उसके पास है देने की अपेक्षा कर सकेगा;

Scanned by CamScanner

(ग) किसी व्यक्ति को या ऐसे यान या जलयान को जिसकी गोदाम से या ऐसे किन्हीं परिसरों या स्थानों से, जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि विलायक, रेफिनेट और स्लॉप संग्रहित किया गया है, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के परिदान के लिए उपयोग किया गया हो या उपयोग किया जाने का संदेह हो, रोक सकेगा तथा ऐसे मददगारों तथा सहायकों के साथ, जो कि आवश्यक हों, तत्काल तलाशी ले सकेगा;

(घ) ऐसे किसी गोदाम या परिसरों या स्थानों में ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ जो कि आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा; और

(ङ) विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के किसी भी स्थान की सम्पूर्ण मात्रा को ऐसे अन्तर्विष्टकों या पात्रों सहित जिनमें कि ऐसा स्टॉक पाया गया हो, तथा ऐसे यानों, ऐसे जलयानों या ऐसे अन्य वाहनों को, जो कि स्टॉक को ले जाने के लिए उपयोग में लाये गये हों ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ, जो कि आवश्यक हो अभिग्रहण कर सकेगा तथा हटा सकेगा यदि उसे यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे स्टॉक या उसके किसी भाग के संबंध में या विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के किसी अन्य स्टॉक के संबंध में जो उल्लंघन के अन्य विहित पूर्व ऐसे स्टॉक के साथ संग्रहित किया गया हो या कब्जे में रखा गया था इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, और तत्पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहण किए गए विलायक, रेफिनेट और स्लॉप के स्टॉक अन्तर्विष्टिकों, पात्रों, यानों, जलयानों, या अन्य वाहनों को जिले कलेक्टर, के जिसको कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 6-क से 6-ब तक के उपबंधों के अधीन अधिकारिता हो, समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा पेश किए जाने तक उनके सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या उपाय करने के लिए किसी को प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिसरों या स्थानों के अन्तर्विष्टियों या अधिवासियों के सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जावेगा।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित है यथा सम्भव इस खण्ड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

20. छूट

राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा समस्त या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट दे सकेगी और किसी भी ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

Scanned by CamScanner

आवेदन प्रारूप (क)

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अधीन विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए

सेवा में,

कलेक्टर/राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी

1. आवेदक का नाम ....
2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)
   (क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य
   (ख) व्यापारी/प्रसंस्करण/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य
3. पता ....
   (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....
   (ख) भंडारण स्थल ....
4. निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर :

क्रम संख्या	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
1					
2					
3					

5. उद्योग रजिस्ट्रींकरण/अनुज्ञप्ति का ब्यौरा :

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति का ब्यौरा
   (क) राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

(ख) केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

8. भंडारण का ब्यौरा

अवस्थान	टेंक संख्यांक	क्षमता (किलोलीटर में)

9. उस विलायक (रेफिनेट) स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपयोग :

1. ....
2. ....
3. ....

10. (क) ऐसे विलायक (रेफिनेट) स्लॉप की मात्रा जिनके लिए निम्नलिखित हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है :

विलायक	रेफिनेट स्लॉप	किलोलीटर में परिणाम

(i) वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए विलायक (रेफिनेट स्लॉप अपेक्षित है) है।

(ii) प्रसंस्करण .... (ब्यौरा दें)

(ङ) खप गई विलायक (रेफिनेट) स्लॉप की प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री

Scanned by CamScanner

(प्रत्येक को पृथक रूप से दिया जाना है)

अंतिम उत्पाद	प्रतिशत
उत्पाद क	प्रतिशत
उत्पाद ख	प्रतिशत
....	प्रतिशत
....	प्रतिशत
छीजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपबंध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक, पूर्ण और सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्यवाई के लिए दायी रहूँगा।

तारीख .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... नाम : ....

वह फारमेट जिसमें "अनुज्ञापन अधिकारी" द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी (खण्ड 6 (ख) देखिए)

1. व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें)

   ....

2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)

   पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

3. पता ....

   (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....

   (ख) भंडारण स्थल ....

Scanned by CamScanner

4. निदेशक/भागीदारों/स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर

क्रम संख्या	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
1					
2					
3					

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति का ब्यौरा :

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा

(क) राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

(ख) केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

Scanned by CamScanner